

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर0ए0एस0

दमा संख्या :- 11/2020 प्रा0फय

1. सुरेश चन्द S10 जोगी चाल माण्डेत (महाजत) वि० केमाली- करेडा  
प्रार्थी.....

बनाम

1. चन्ना पि० नाथु डिमावर वि० केमाली- करेडा- कोटे  
विपक्षीगण..

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 6/7/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत  
र निवेदन किया कि ग्राम केमाली पटवार हल्का केमाली तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त  
तों की खाता संख्या 1189 आराजी नम्बर 2340 2342 2343 2524

119 / 1.03 बीघा / 119 / 1118  
कुल किता 5 रकबा 3.01 बीघा

टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने  
आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ संयुक्त खातों की  
की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13/2/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
लोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढी  
ने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी  
का अर्देशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इनत तथ्यों का देखते  
नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
केमाली पटवार हल्का केमाली तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या  
आराजी नम्बर 2340 2342 2343 2524 2525

119 / 1.03 बीघा / 119 / 1118 / 52  
कुल किता 5 रकबा 3.01 बीघा

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-  
लेख निरीक्षक केमाली को 550/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया  
जा है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की  
पूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर  
पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

ग्न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

उपखंड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर करेडा  
करेडा जिला भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखंड अधिकारी पदेन  
उपखण्ड अधिकारी